रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.—33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

फा. सं. एफ. 1-63/एफ एस एस ए आई/ टी आर. कारबार एस सी और एस पी/रजि. 2015.—कतिपय प्रारूप विनियमों का, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को बनाने का प्रस्ताव करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. एफ.1-63/एफएसएसएआई/ टी आर. कारबार एस सी और एस पी/रजि. 2015, 18 मई, 2016 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3-खंड 4 में प्रकाशित किया गया था उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने कि तारीख से तीस दिनों की अवधि के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 31 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं.—

(क) "अधिनियम" से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष जैसा संदर्भ के लिए उपबंधित है, अभिप्रेत है ;

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "खाद्य प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ड.) "आमंत्रित" से एक विषय-वस्तु विशेषज्ञ, जो विषय पर उसके ज्ञान को साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है और ऐसे आमंत्रण के परिसीमित प्रयोजन के पूर्ण होने पर उसकी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के साथ सहयोजन जारी रहना समाप्त हो गया है ;

(च) "सदस्य" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(छ) वैज्ञानिक समिति" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन खाद्य प्राधिकरण गठित वैज्ञानिक समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "वैज्ञानिक राय" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा दिये गए वैज्ञानिक निर्गम अभिप्रेत है ;

(झ) "वैज्ञानिक पैनल" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पैनल अभिप्रेत है ;

(ञ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि.–

(1) खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उच्च स्तरीय सामूहिक वैज्ञानिक समक्षता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति या पैनलों का गठन ऐसी वैज्ञानिक विशेषज्ञता की आज्ञा को पूरी करने के क्रम में भारत में वैज्ञानिक मुद्दो और पद्धतियों की विविधताएं प्रतिबिम्बित करे।

(2) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की अवधि उन कारणों के सिवाय जो लेख बद्ध किये जायेगे उनके गठन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) कोई सदस्य समान पैनल के लिए उन कारणों के सिवाय जो लेख बद्ध किये जायेगे दो से अधिक क्रमवर्ती अवधियों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल में इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् परंतु ऐसी अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्त किए गए सदस्य की पदावधि ऐसा सदस्य शेष अवधि के लिए ऐसी समिति या पैनल का सदस्य बना रहेगा। ऐसी निरन्तरता को बनाये रखने के क्रम में वह उप-विनियम (3) के अध्ययधीन रहते हुए नयी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के योग्य होगा।

(5) प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल में यथा अपेक्षित सदस्य होंगे परंतु एक पैनल की कुल संख्या ग्यारह से अधिक नहीं होगा।

(6) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यो के चयन प्रक्रिया समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धन्तो निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

4. कार्य समूह.—(1) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों से मिलकर बने कार्य समूहों का सृजन कर सकेगी और ऐसी संख्या में बाह्य विशेषज्ञ भी विशिष्टतः, ऐसे विषयों की दशा में जो किसी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता में नहीं आते या ऐसे बहु-त्रिज्य विवाधक जो एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता में आते है पर सम्मिलित किए जा सकेंगे। ऐसे कार्य समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर गठित किए जा सकेंगे:

(2) परंतु वैज्ञानिक समिति कार्य समूह के अध्यक्ष को भी नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करेगी:

परंतु यह और कि कार्य समूह में बाह्य विशेषज्ञों की संख्या, कार्य समूह के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों को ऐसे कार्य सौंपेगी जो उनकी अवधि के सन्दर्भ में जिसके अन्तर्गत समय सीमा जिसमें ऐसे कार्य पूरे किए जाने है, के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।

(4) वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों के कार्यकरण के साथ समन्वय करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समनुदेशित कार्य विनिर्दिष्ट समय सीमा में पूरे किए जाए।

(5) कार्य समूह वैज्ञानिक समिति को रिपोर्ट करेंगे और उसकी अध्यक्षता वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(6) कार्य समूह उस कार्य जिसके लिए वे बनाये गए थे के पूरा होने पर कार्य करना बंद कर देंगे ।

5. बाह्य विशेषज्ञ.—वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल बाह्य विशेषज्ञ जो अभिज्ञात कार्य, विवाधक या कार्य सूची मद के लिए सुसंगत विशेषज्ञ ज्ञान रखते हो को आमंत्रित कर सकेगी और वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण में रखी गयी विशेषज्ञों की सूची या पूल में से या अन्य सदस्यों के साथ अपेक्षित सक्षमता के लिए परामर्श खोज करने के पश्चात् बाह्य विशेषज्ञ अभिज्ञात कर सकेगा ।

6. रिपोर्टर.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्य समूह, समिति या पैनल या कार्य समूह के अध्यक्ष, जो विनिर्दिष्ट समय अवधि में निम्नलिखित तैयार करेगा, अर्थात्:-

(i) तकनीकी कार्य सूची पर विचार विमर्श के परिणाम का अभिलेख ; और

(ii) अनुसूची 3 –में दिए गए प्रारुप में दी गई विशेषज्ञ राय, के अनुमोदन से उनके सदस्यों में से रिपोर्टर पदाभिहित करेगा ।

(2) जैसे ही वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल रिपोर्ट या राय स्वाकीर करते है रिपोर्टर का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा ।

7. दायित्वों का प्रत्यायोजन.—वैज्ञानिक समिति और प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल अपने में से एक अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे या चुनेंगे । यदि वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष अपने कृत्यों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसा अध्यक्ष सर्वसम्मति से अन्य सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा जो उसके पश्चात् ऐसी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करेगा ।

8. वैज्ञानिक सलाह के लिए अनुरोध.–(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल से निम्नलिखित रीति में वैज्ञानिक राय के लिए अनुरोध करेगा, अर्थात्:-

(i) बहु-त्रिज्य विवाधकों जो एक से अधिक पैनल की सक्षमता के भीतर आते है और विवाधक जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल, वैज्ञानिक समिति की सक्षमता के भीतर नहीं आते के कार्यों के लिए ।

(ii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित किए गये विद्यमान या नये वैज्ञानिक पैनल को आदेशित कार्यों के लिए ।

(iii) वैज्ञानिक समिति प्रक्रियाओं, प्रणाली विज्ञान और ऐसे मामलों जो वैज्ञानिक पैनलों के वैज्ञानिक निर्गम को सुव्यवस्थित पहुंच और निरन्तरता प्रदान करते है पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध भी कर सकेगी ।

9. वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का बैठक.– (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल, अभिज्ञात कार्यों की संख्या के ऊपर निर्भर रहते हुए उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ परामर्श करके आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए उनकी बैठकों की अनुसूची बनाएंगे।

(2) जब वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की बैठक पूर्व बैठक के समय ही अनुसूचित नहीं की गयी है, तब, समिति या पैनल की बैठक के लिए सदस्यों को बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ।

(3) बैठक को रद्द करने की सूचना, चाहे पहले ही से अनुसूचित हो या अन्यथा, बैठक की तारीख से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व दी जाएगी ।

(4) अत्यावश्यकता की दशा में, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनलों की बैठक संबंध अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से अल्पकालिक सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

10. कार्य तक पहुंच और पूर्विकताकरण.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल बैठक में प्रथमतः किसी विशिष्ट कार्य सूची में अन्तवर्लित कार्यों को अभिनिश्चित करेगी और विभिन्न सदस्यों के बीच व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, ऐसे कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा के साथ, कार्यों का समनुदेशन करेगी और ऐसे कार्यों में अभिज्ञात और समनुदेशित कार्यों के लिए अपेक्षित जोखिम निर्धारण के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य से संबंधित, सुसंगत अनुसंधान, प्रकाशित अद्ययन या साहित्य और वैज्ञानिक राय सम्मिलित होगी ।

(2) जैसा कि अधिनियम में उपबंधित है, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल उसकी आरम्भिक बैठक में संबंध उद्योग और उपभोक्ता समूहों प्रतिनिधियों को वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण का अवसर प्रदान करेंगे और उनके द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साहित्य को अपनी राय बनाने में परामर्श के लिए अभिलेख पर लेगा और ऐसे प्रतिनिधि समिति या पैनल के विनिश्चय करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकेंगे ।

11. गणपूर्ति और सर्वसम्मति.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल अथवा कार्य समूह की किसी बैठक में कोई कारबार सम्पादित नहीं किया जाएगा जब तक उसके एक तिहाई सदस्य जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष भी है उपस्थित न हो

IndiaCode

। इस प्रकार संयोजित बैठक में अध्यक्ष के किसी कारण, जो चाहे कोई भी हो, उपस्थित होने में असमर्थ रहने की दशा में, उस विशिष्ट बैठक और कारबार के सम्पादन के लिए उनमें से उपस्थित सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकेगा ।

(2) यदि किसी समय, किसी बैठक में सदस्यों की संख्या उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति आस्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना सदस्यों को देने के पश्चात् बैठक को आस्थगित कर देगा और तत्पश्चात् ऐसी आस्थगित बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के लिए, उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लाये बिना मूल बैठक के सम्पादन के आशय से कारबार का निपटान करना विधिमान्य होगा ।

(3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल यदि किसी विवाधक पर सर्वसम्मिति न हो सके, बहुमत की राय अंगीकार करेंगे ।

12. कार्यसूची.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की बैठकों की प्रारुप कार्यसूची सचिवालय द्वारा तैयार की जाएगी और बैठक के कम से कम दस कार्य दिवसों पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी ।

(2) कार्यसूची बैठक के आरंम्भ में पूर्विकृत और अंगीकृत् की जाएगी और कोई कारबार जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की किसी बैठक में संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(3) कोई संबंध अत्यावश्यक प्रश्न या विवाधक बैठक की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष की अनुज्ञा से अभिज्ञात या सम्मिलित किया जा सकेगा और कार्यसूची उस परिमाण तक उपांतरित समझी जाएगी और विचार विमर्श के लिए अग्रेषित की जाएगी ।

(4) जहां कही संभव हो, दस्तावेजें जिनके अन्तर्गत रिपोर्टर या बाह्य विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और प्रारुप रायें भी हैं, बैठक से एस सप्ताह पहले सदस्यों और बाह्य विशेषज्ञों को उपलब्ध करायी जाएगी ।

(5) वैज्ञानिक राय परिदान करने की समय-सीमा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(6) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल या कार्यसमूहों के अध्यक्ष सदस्यों के मध्य इलैक्ट्रानिक रीति को प्राथमिक कार्य रीति के रूप में, कार्यसूची से संबंधित ई-मेल के विनियम, दस्तावेजों के परिचालन, समनुदेशित कार्यों से संबंधित मामलों पर सर्वसम्मिति निर्मित करके, प्रोस्ताहित करने के लिए विशेष प्रयास करेगा और ऐसा विनियमन संव्यवहार के अभिलेखों के प्रायोजन के लिए विधिमान्य होगा ।

13. उभरते हुए विवाधक.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ध्यान, उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विनिर्दिष्ट या उभरते हुए विवाधक जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए आसन्न या सम्भावित जोखिम प्रस्तुत कर सकने वाला समझा जाता है खींच सकेंगे ।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जाने वाली कारवाई जिसके अन्तर्गत, यदि अपेक्षित हो, मामलें पर वैज्ञानिक राय या रिपोर्ट के लिए अनुरोध करना भी है, अवधारित करेगा, ऐसी किसी दशा में, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल इस मामले में किए गए विनिश्चय को सूचित करेंगे ।

(3) जहां वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा वैज्ञानिक राय दी गई है जो कोई अनाशयित या अवधान लोप समाविष्ट कर सकती है और वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के किसी सदस्य के ज्ञान में उसे अन्तिम प्रभाव दिए जाने से पहले किसी प्रक्रम आता है, संबंधित सदस्य उसके संप्रक्षणों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संसूचित करेगा, जो मामले को संबंधित वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल को उसके पुर्न विचार और समाधान के लिए पुनः निर्देशित करेगा ।

14. बैठकों में पहुंचना जिसके अन्तर्गत तकनीकी सुनवाई भी है.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण के किन्ही अधिकारियों या प्रतिनिधियों को इसकी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । यदि इस प्रकार आमंत्रित किया जाता है, वे स्पष्टीकरण या सूचना के प्रयोजन के लिए सहायता कर सकेंगे लेकिन विनिश्चय को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

(2) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल व्यष्टियों, अर्जीदारों या अन्य पणाधारी प्रतिनिधियों के साथ वैज्ञानिक सुनवाई यदि निम्नलिखित रीति में वैज्ञानिक राय की संपूर्ति के लिए आवश्यक समझे, आयोजित कर सकेगा, अर्थात्

(i) सुनवाई प्रारुप कार्यसूची या बैठक जिसमें ऐसी सुनवाई की जाती है की कार्यसूची में स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी ।

(ii) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल ऐसी सुनवाई के दौरान कोई विनिश्चय नहीं लेगा ।

15. परिचालन द्वारा कारबार.– (1) मामले की दशा में जो अत्यावश्यक हो या जिस पर चर्चा आवश्यक और जहां परिस्थितियां अव्यवहित बैठक अनुज्ञात नहीं करती या यदि वैज्ञानिक समिति अथवा वैज्ञानिक पैनल जैसा भी मामला हो, का अध्यक्ष इस प्रकार निर्देश करे, एक प्रारुप राय या कथन उसके सदस्यों को पेपर द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या भौतिक रूप से निर्दिष्ट की जा सकेगी ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित कोई प्रस्ताव या प्रारुप राय, यथास्थिति, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के एक तिहाई द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगी मानों ऐसा प्रस्ताव या प्रारुप राय या कथन बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया था ।

India Code

(3) यदि उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रारुप राय या कथन अनुमोदित नहीं होता है तो उसे वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की आगामी बैठक में कार्यसूची में रखा जाएगा ।

(4) इस विनियम के अधीन परिचालित प्रत्येक प्रस्ताव या प्रारुप राय या कथन और ऐसे परिचालन का परिणाम आगामी बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाएगा।

16. त्वरित प्रक्रियाएं.—(1) इस मामले में उत्तर या तो वैज्ञानिक समिति या सुसंगत वैज्ञानिक पैनल द्वारा अंगीकृत खाद्य प्राधिकरण द्वारा कथन या राय का रूप ले सकता है, कथन या राय का विकास और अंगीकरण, यथास्थिति, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा यथासंभव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निदेश के अधीन प्रतिनिर्देश के निबंधनों के अनुसरण में और प्रश्न के उत्तर के लिए आबंटित सीमित समय के ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को प्रश्न और प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उपविनियम (1) के अधीन कथन को अंतिम रूप देने से पूर्व वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति से विशेषज्ञ या किसी बाह्य विशेषज्ञ से परामर्श किया जाएगा।

17. वैज्ञानिक रायों का अंगीकरण.—(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल वैज्ञानिक रायों या विनियम 16 या विनियम 17 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपनी पूर्ण बैठकों में अंगीकृत करेंगे ।

(2) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल खाद्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित करने के लिए प्रारंभिक राय अंगीकृत कर सकेंगे उसमें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वैज्ञानिक टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और जिस पर अंतिम राय बनाने से पूर्व प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा ।

(3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की रायों में कोई अल्पमत राय सम्मिलित हो सकेगी ।

18. वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का सचिवालय.—(1) खाद्य प्राधिकरण का कार्यालय, अधिनियम की धारा 10 के खंड (घ) के अनुसरण में, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनलों के प्रभावी कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा । सचिवालय के विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे लेकिन वे इन तक ही सीमित नहीं होंगे, अर्थात् :-

(i) खाद्य प्राधिकरण के स्रोतों के सर्वोतम उपयोग को सुनिश्चित करना और प्राथमिकताओं तथा समय सीमा को पूरा करने की योजना बनाना ;

(ii) पृच्छाओं या वैज्ञानिक रायों के विधायन या नीतिगत पहलूओं पर सूचना प्रदान करना ;

(iii) प्रारुप कार्य सूची जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों या कार्य समूहों के लिए पृष्ठभूमि सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी है, संबंधित अध्यक्ष के साथ परामर्श करके तैयार करना ;

(iv) बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित होगा

(क) भाग लेने वालों की सूची

(ख) लिये गये विनिश्चयों और अंगीकृत रायों का अभिलेख

(2) कार्यवृत्त उनके अंगीकरण के पश्चात् खाद्य प्राधिकरण का वेबसाईट पर पोस्ट किए जाएंगे ।

19. गोपनीयता.– (1) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भागीदारी करने वाले या प्रेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले बाह्य विशषज्ञों द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को खाद्य प्राधिकरण द्वारा "निर्बधित या गोपनीय" के रूप में विशिष्ट रूप से चिन्हित कोई सूचना नहीं दी जाएगी ।

(2) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भाग लेने वाले या प्रेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले बाह्य विशेषज्ञ अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्टघोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(3) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भाग लेने वाले या प्रेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले बाह्य विशेषज्ञ उनके कर्तव्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वृत्तिक गोपनीयता के दायित्व के अंतर्गत आने वाली किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे ।

20. स्वतन्त्रता.– (1) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों तथा बाह्य विशेषज्ञों के सदस्य अनुसूची-3 में यथा उपबंधित प्रतिबद्धता कि घोषणा अनुसूची 4 में की हितों की वार्षिक घोषणा करने के द्वारा किसी भी बाहरी प्रभाव पर स्वतंत्र कार्य करने का वचन देंगे, जो उपदर्शित करता है कि या तो उनका कोई ऐसा हित न हो जो उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं हो जो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो

(2) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों या कार्य समूहों या तथा बाह्य विशेषज्ञों के सदस्य प्रत्येक बैठक में अनुसूची-5 में यथा उपबंधित हितो की विनिर्दिष्ट घोषणा करेंगे जो कार्यवृत के मदों के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समझी जा सकेगी।

21. प्रतिस्थापन.—वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्य को खाद्य प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों या कार्य समूहों के कार्य में प्रभावी योगदान नहीं करने के लिए या तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए अथवा ऐसे कार्य जो खाद्य प्राधिकरण के हितों या निबंधनों और शर्तों के विरोध में है, कि लिए हटाया या बदला जा सकेगा । यदि कोई सदस्य पद त्याग करना चाहता है खाद्य प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रस्ताव पर कार्य करते हुए आरक्षित सूची यदि कोई खाद्य प्राधिकरण द्वारा रखी गई है, में से प्रतिस्थापन की नियुक्ति कर सकेगा ।

22. सम्मेलन.—किसी विषय पर वैज्ञानिक राय प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष प्रासंगिक विवाधक या विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव, बजट के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा, जो ऐसे प्रस्ताव को अधिकतम पंद्रह लाख के बजट के साथ अनुमोदित कर सकेगा तथापि, यह रकम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुर्नविलोकित की जा सकेगा ।

23. व्ययों की प्रतिपूर्ति और बैठक फीस.—(1) वैज्ञानिक समिति, पैनलों, कार्यसमूहों या रिपोटरों की बैठकों के संबंध में सदस्यों या बाह्य विशेषज्ञों अथवा रिपोटरों द्वारा वहन किए गए यात्रा और निर्वहन व्ययों की प्रतिपूर्ति इन विनियमों के अनुसरण में खाद्य प्राधिकरण द्वारा की जाएगी ।

(2) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों, कार्य समूहों या बाह्य विशेषज्ञों को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए चार हजार रुपये बैठक फीस संदत्त की जाएगी ।

(3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यसमूह के रिर्पोटर सदस्य को बैठक में उपस्थित होकर रिर्पोटर के रूप में कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए दो हजार रुपये का अतिरिक्त मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

अनुसूची I

[विनियम 6 (1)(ii) देखिये]

वैज्ञानिक राय के लिए रूपविधान

वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनल/कार्य समूह उनकी वैज्ञानिक राय निम्नलिखित प्ररुप में प्रस्तुत करेंगे :

1. **शीर्षक :** [खाद्य प्राधिकरण/सरकार/सेल्फ टास्किंग] प्रार्थना सं.: [संदर्भ सं.] द्वारा अनुज्ञेय पर कृतिक पृच्छा [प्राधिकरण द्वारा उपबंधित पृच्छा का शीर्षक या संदर्भ की निबंधन अन्तःस्थापित करे] पर वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल या कार्य समूह [पैनल का नाम अंतःस्थापित करे] की राय।

2. **संक्षेप :** राय का एक संक्षिप्त संक्षेप होना चाहिए जो संदर्भ और निष्कर्ष की पृष्ठ भूमि, निबंधन प्रतिबिम्बित करती हो । निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से कथित करना चाहिए कि संबंध शर्तों के साथ उपयोग के स्तर पर कोई असुरक्षित स्थिति जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों की संभावयता लेकिन वैज्ञानिक अनिश्चितता या अत्यधिक व्यापक जोखिम निर्धारण के लिए और वैज्ञानिक सूचना की आवश्यकता बनी रहती है, भी है, का साक्ष्य है या नहीं ।

3. **पृष्ठभूमि और संदर्भ की निबंधनें :** खाद्य प्राधिकरण या किसी अन्य पणधारी द्वारा यथा उपबंधित।

4. **विस्तृत निर्धारण :** वास्तविक जोखिम निर्धारण खंड कि कैसे सूचना मूल्याकिंत की गई और किस विवाधक को राय के लिए मूल–सुसंगत माना गया ।

5. **विनियामक समाधान विश्लेषण :** यथा परिलक्षित साधारणतः या विनिर्दिष्ट खंड में जनसमुदाय के स्वास्थ्य में कमी से संबंधित परिमेय निर्गम।

6. **निष्कर्ष और सिफारिशें**

7. **अल्पसंख्यक राय (रायों) पर कथन, (यदि कोई हो)**

8. **प्रलेखीकरण :** संदर्भों और प्रलेखीकरण की सूची जिस पर राय आधारित है ।

9. **अभिस्वीकृति :** यदि लागू हो, कार्य समूहों या बाह्य विशेषज्ञों जिन्होंने प्ररुप राय तैयार की है (या उसमें योगदान दिया है) के नामों के साथ अभिस्वीकृति ।

अनुसूची II

[विनियम 19(2) देखिये]

गोपनीयता संबंधी घोषणा

नाम :

पद:

[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य

[] केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य

[] वैज्ञानिक समिति का सदस्य

[].....पर पैनल का सदस्य

[].....पर कार्यसमूह का सदस्य

[].....पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)

मैं घोषणा करता हूं कि गोपनीयता से संबंधित बाध्यता मुझे ज्ञात है । मैं यह जानता हूं तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में मेरे क्रियाकलापों के परिणाम स्वरुप अर्जित जानकारी प्रकट न करने के प्रति बाध्यकर हूं और मैं ऐसी किसी गोपनीय जानकारी प्रकट न करने का प्रतिज्ञा करता हूं । मैं ऊपर वर्णित निकायों के अन्य सदस्यों या अन्य विशेषज्ञों द्वारा बैठकों के दौरान विचार की गई या लिखित रूप में प्रदान की गई रायों की गोपनीय प्रकृति का भी सम्मान करुंगा ।

तारीखको.....पर किया गया ।

हस्ताक्षर

अनुसूची III

[विनियम 20 (1) देखिये]

प्रतिबद्धता की घोषणा

नाम :

पद:

[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य

[] केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य

[] वैज्ञानिक समिति का सदस्य

[].....पर पैनल का सदस्य

[].....पर कार्यसमूह का सदस्य

[].....पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)

मैं खाद्य प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने और भाग लेने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करने और किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से और लोकहित में कार्य करने का प्रतिज्ञान करता हूं ।

तारीखको.....पर किया गया ।

हस्ताक्षर

IndiaCode

अनुसूची IV

[विनियम 20 (1) देखिये]

हित की वार्षिक घोषणा

(कृपया नोट करें कि पूर्व अनुभव के आधार पर प्रकृति द्वारा वैज्ञानिक दक्षता की उच्च क्वालिटी है और इसलिए हितबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रूप से हितों का टकराव नहीं है)

नाम :

पद:

[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य

[] केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य

[] वैज्ञानिक समिति का सदस्य

[].....पर पैनल का सदस्य

[].....पर कार्यसमूह का सदस्य

[].....पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)

प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों पर जानकारी

(1) प्रत्यक्ष हित (उदाहरण के लिए नियोजन, संविदा कार्य, निवेशों, फीस आदि से उदभूत होने वाले वित्तीय लाभ)

(2) अप्रत्यक्ष हित (अप्रत्यक्ष वित्तीय उदाहरण के लिए अनुदान, प्रायोजन या अन्य प्रकार के लाभ)

(3) सदस्य और उसके निकटवर्ती पारिवारिक सदस्यों की वृत्तिक गतिविधियों से व्युत्पन्न हित

(4) प्राधिकरण के कार्यकरण में हित के साथ संगठनों/निकायों/क्लब में कोई सदस्यता भूमिका या सहबद्धता ।

(5) अन्य हित या तथ्य जिन्हें अधोहस्ताक्षरी संबंध समझे

घोषणा : मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है ।

तारीखको.....पर किया गया ।

हस्ताक्षर

(जहां कहीं अपेक्षित कृपया अतिरिक्त पृष्ट संलग्न करें)

IndiaCode

हित की वार्षिक घोषणा के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

(1) स्टाक और शेयर, इक्विटी, बांडधारण करने , खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत भागीदारी या संपत्ति हितों समेत कोई वित्तीय हित या लाभ । सदस्यता से पूर्व संविदा की गई पेंशन या निवेश स्कीम से संबंधित वित्तीय हित और या यूनिट ट्रस्ट या वैसे ही ठहरावों में हित सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट हित के नहीं होंगे परंतु सदस्य का वित्तीय प्रबंध पर कोई प्रभाव न हो ।

(2) खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में वृत्तिक अनुभव । इसमें नियमित या यदा-कदा पारिश्रमिक वाली गतिविधियों को विचार किए बिना सभी कार्य सम्मिलित होने चाहिए (बोर्ड सदस्यता, कार्यकारी या गैर कार्यकारी निदेशकता, नियोजन, परामर्श संविदात्मक हित और प्रशिक्षुता) ।

(3) खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत, सदस्य के हितों वाली भूतकालीन या वर्तमान में चल रही विधिक कार्यवाहियां, उनकी विवक्षाओं को दर्शित करते हुए घोषित की जानी है ।

(4) निजी और लोक उपक्रमों या निकायों द्वारा प्राप्त सभी सहायता और समर्थन घोषित किए जाने हैं, जहां वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घनीय या सारवान हितों से सहबद्ध है और जिनका पैनल वैज्ञानिक समिति के विषय से संबंध है । इसमें पिछले पांच वर्षों से अध्ययन या अनुसंधान, अध्येता वृत्तियों या प्रायोजनों के लिए अनुदान सम्मिलित है ।

(5) लोकहित समूहों, वृत्तिक सोसाइटियों, क्लबों और संगठनों में भाग लेना जिनकी कार्यसूची खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत हो सकती हो, घोषित की जानी है भूमिका और धारित पद को स्पष्ट रूप से दर्शित करना है ।

(6) निकटवर्ती कुटुंब के सदस्यों में पति/पत्नी या भागीदार और उसी गृहस्थी में रहने वाले आश्रित बालक हैं ।

(7) हितों की घोषणा करते समय सदस्य को खाद्य प्राधिकरण द्वारा संबोधित प्रश्नों से सुसंगत व्यक्तिगत रायों या विवाधकों के कथनों पर विचार करना चाहिए (उदाहरण स्वरुप प्रकाशन, लोक कथन) नियोजन या परिवार (उदाहरणस्वरुप स्दस्य के नियोजक, कारबार सहभागी या निकटतम पारिवारिक सदस्यों से उत्पन्न कोई अप्रत्यक्ष लाभ की संभावना या किसी दवाब की संभाव्यता) ।

(8) खाद्य प्राधिकरण यह मान्य करता है कि वैज्ञानिक दक्षता इसके आदेश और कार्यों को पूर्ण करने को मजबूती प्रदान करती है और ऐसी दक्षता की क्वालिटी पूर्व अनुभव पर अंतरनिहित रूप से आधारित है । घोषित हित को स्वतः ही हित का टकराव नहीं समझा जाता है । बौद्धिक प्रकृति के हित वैज्ञानिक कार्य की क्वालिटी और संपूर्ण संतुलित उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं ।

(9) घोषित हितों के ब्यौरे को खाद्य प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखा जा सकेगा यदि इसका प्रकटन अंतर्वलित सदस्य के उद्देश्य और स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए आवश्यक न हो।

IndiaCode

अनुसूची V

विनियम 20(2) देखें

हितों की विशिष्ट घोषणा

(कृपया नोट करें कि पूर्व अनुभव के आधार पर प्रकृति द्वारा वैज्ञानिक दक्षता की उच्च क्वालिटी है और इसलिए हितबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रूप से हितों का टकराव नहीं है)

नाम

व्यवसाय

खाद्य प्राधिकरण की बैठक

केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक

वैज्ञानिक समिति की बैठक

.....पर पैनल की बैठक

.....पर कार्यसमूह की बैठक

बैठक की तारीखें	
स्थल	

क्रम सं.	**कार्यसूची की मदें**	**क्या सदस्य हित का टकराव रखता है (हां/नहीं)** **यदि हां, तो अध्यक्ष को विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए विवरण दें।**

घोषणा: मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण हैं।

तारीखको.....पर किया गया।

हस्ताक्षर

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./335 (187-क्यू)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2016

F. No. F.1-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2015.—Whereas draft of certain regulations proposing to make in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, were published as required by the sub-section (1) of section 92 the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India, number F. No. F.1-63/FSSAI/Tr. Business SC and

SP/Reg/2015, dated the 18th May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (2) of section 92 read with sub-section (4) of section 15 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, namely:—

Regulations

1. **Short title and commencement**.– (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

b) "Chairperson" means the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel as the context may provide for;

c) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Authority appointed under section 9 of the Act;

d) "Food Authority" means Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Act;

e) "Invitee" means a subject matter expert, who may be invited to share his knowledge on the subject and ceases to continue his association with the Scientific Committee or Scientific Panel on completion of the limited purpose of such invitation;

f) "member" means a member of the Scientific Committee or Scientific Panel and includes the Chairperson;

g) "Scientific Committee" means the Scientific Committee constituted by the Food Authority under section 14 of the Act;

h) "Scientific Opinion" means a scientific output given by the Scientific Committee or Scientific Panel;

i) "Scientific Panel" means the Scientific Panel established by the Food Authority under section 13 of the Act;

j) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of Members of the Scientific Committee and the Scientific Panels and their term of office.— (1) The Food Authority shall ensure high level of collective scientific competence and expertise while appointing Members of the Scientific Committee and the Scientific Panels so as to ensure that the constitution of the Committee or the Panels reflects the diversity of scientific issues and approaches in India in order to fulfill the mandate of such scientific expertise.

(2) The term of the Scientific Committee and the Scientific Panel shall be for a period of three years from the date of notification of their constitution, except for the reasons to be recorded in writing.

(3) No member shall be appointed to the same Committee or Panel for more than two consecutive terms, except for the reasons to be recorded in writing.

(4) The term of office of a member appointed to the Scientific Committee or the Scientific Panel on a date after its notification but before the expiry of its term, such member shall continue to remain the member of such committee or panel for the remaining term. Subject to sub-regulation (3), he shall be eligible for re-appointment for fresh term in order to maintain continuity.

(5) Each Scientific Panel shall comprise of as many members as required but the total strength of a Panel shall not exceed eleven.

(6) The process of selection of members of Scientific Committee and Scientific Panel may be as per the guidelines laid down by the Food Authority from time to time.

4. **Working Groups.—**(1) The Scientific Committee may constitute working groups consisting of members of the Scientific Committee or Scientific Panels and also include therein such number of external experts, particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel or on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panel. Such working group shall be constituted on the recommendations of the Chairperson of the Scientific Committee with the approval of the Chief Executive Officer.

(2) The Scientific Committee shall also nominate or appoint the Chairperson of the working group:

Provided that the number of external experts in a working group shall not exceed fifty percent of the total members of the working group.

(3) The Scientific Committee shall entrust working groups with tasks which are clearly defined through their terms of reference, including the time-frame within which such tasks are to be accomplished.

(4) The Scientific Committee shall coordinate the functioning of working groups and ensure that the tasks assigned are completed within a specified time-frame.

(5) Working groups shall report to the Scientific Committee and shall be chaired by a member of the Scientific Committee or Scientific Panel.

(6) The Working Group shall cease to function on completion of the task for which it was constituted.

5. **External Experts.—**The Scientific Committee or the Scientific Panel may invite external experts possessing relevant scientific knowledge for an identified task, issue or agenda item. The Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel may identify external experts from the list or pool of experts maintained in the Food Authority or after carrying out a search in consultation with other members for the required competence.

6. **Rapporteurs.—**(1) The Scientific Committee or Scientific Panels or Working Groups shall designate a rapporteur from among their members with the approval of Chairperson of the Committee or Panel or Working Group, who shall prepare within the specific time period, the following, namely:-

(i) record of the outcome of the discussion on the technical agenda; and

(ii) scientific opinion thereof in the format given in **Schedule-I**.

(2) The work of the rapporteur will be terminated as soon as the Scientific Committee or Scientific Panel adopts the report or the opinion.

7. **Delegation of responsibilities.—**The Scientific Committee and each of the Scientific Panels shall elect or choose a Chairperson from amongst themselves. If the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel is not in a position to discharge the functions, such Chairperson may be replaced by another member by consensus, who shall thereafter perform the functions of the Chairperson of such Scientific Committee or Scientific Panel.

8. **Requests for Scientific Opinion.—**(1) The Chief Executive Officer shall make requests to the Scientific Committee or Scientific Panel for scientific opinion in the following manner, namely:-

(i) for tasks on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one panel and on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels, to the Scientific Committee; and

(ii) for tasks mandated to an existing or new Scientific Panels constituted from time to time by the Food Authority.

(2) The Scientific Committee may also be requested to provide guidance on procedures, methodologies and such matters that provide harmonised approach and consistency in the scientific outputs of Scientific Panels.

9. **Meetings of the Scientific Committee or Scientific Panel.—**(1) Depending upon the number of tasks identified, the Scientific Committee and Scientific Panels shall plan a schedule of their meetings for the ensuing calendar year in consultation with their respective Chairpersons.

(2) Unless a meeting of the Scientific Committee or the Scientific Panel is fixed in the previous meeting itself, then, fifteen days notice for a meeting of the Committee or the Panel shall be given to the members before the date of the meeting.

(3) The notice for cancellation of a meeting, whether scheduled in advance or otherwise, shall be given at least five working days before the date of the meeting.

(4) In case of urgency, meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels may be called at shorter notices with the prior approval of the Chairperson concerned.

10. **Approach to work and prioritisation.—**(1) The Scientific Committee and Scientific Panels in the meeting at the first instance shall identify the tasks involved on any particular agenda and assign the tasks among various members individually or in groups, with timelines for completion of such tasks and these tasks shall include relevant research, published studies or literature, related to the available scientific evidence for the risk assessment required for the identified and assigned tasks and the scientific opinion thereof.

(2) As provided in the Act, the Scientific Committee or Scientific Panel shall afford an opportunity of scientific presentations to the represenatives of concerned industry and consumer groups in one of its initial meetings and take the scientific literature submitted by them on record for consultaion in forming its opinion and such representatives can not influence the decision making process of the Committee or the Panel.

11. **Quorum and Consensus.—**(1) No business shall be transacted at a meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel or Working Group unless at least one third of its members are present including the Chairperson of the Scientific Committee or the Scientific Panel. In case the Chairperson is not able to remain present at a meeting so convened for any reason, whatsoever, the members present may elect one from amongst themselves to be the Chairperson for that particular meeting and transact the business.

(2) If at any time the number of members present at a meeting is less than the quorum as specified in sub-regulation (1), the person presiding shall adjourn the meeting after informing the members of the date, time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon be lawful for the person presiding at such adjourned meeting to dispose of the business intended to be transacted at the original meeting, irrespective of the number of members present.

(3) The Scientific Committee and Scientific Panels shall adopt opinions by a majority if a consensus cannot be reached on any issue. However, the difference of opinion shall be duly recorded.

12. **Agenda.—**(1) The draft agenda of the meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels shall be drawn up by the Secretariat and shall be circulated to members at least ten working days before the meeting.

(2) The agenda shall be prioritised and adopted at the beginning of the meeting and no business, which is not included in the agenda, shall be transacted at a meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel, except with the permission of the Chairperson.

(3) Any related urgent questions or issues may be identified and included in the agenda at any time with the permission of the Chairperson before the end of the meeting, and the agenda shall be deemed to be modified to that extent and carried over to deliberations.

(4) Wherever possible documents including reports and draft opinions prepared by a rapporteur or external expert, shall be made available to the members and external experts one week before the meeting.

(5) Time-limits for the delivery of scientific opinions shall be decided by the Chairperson.

(6) The Chairperson of the Scientific Committee, Scientific Panels or Working Groups shall make special efforts to encourage the electronic mode as the primary working mode among members, through exchange of emails relating to agenda, circulation of documents, consensus building on matters relating to the tasks assigned and such exchanges shall be valid for the purpose of records of transactions.

13. **Emerging issues**.—(1) The Scientific Committee or Scientific Panels may draw the attention of the Chief Executive Officer to any specific or emerging issue falling within its jurisdiction which it considers can pose an imminent or potential risk to consumer health.

(2) The Chief Executive Officer shall determine the action to be taken including, if required, making a request for a scientific opinion or report on the matter. In any event, the Scientific Committee and the Scientific Panel shall be apprised of the decision taken in the matter.

(3) In cases where a scientific opinion has been tendered by the Scientific Committee or Scientific Panel, which may comprise any unintended or inadvertent ommissions, and which come to the notice of any member of the Scientific Committee or Scientific Panel at any stage before it is given final effect, the member concerned shall communicate his observations thereon to the Chief Executive Officer, who shall in turn refer the matter to the Scientific Committee or the concerned Scientific Panel for its reconsideration and resolution.

14. **Access to meetings including technical hearings.—**(1) The Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel may authorise officers or representatives of the office of the Food Authority to be present in the meetings. If invited to do so, they may assist for the purpose of clarification or information but shall not seek to influence the decisions.

(2) The Scientific Committee or Scientific Panel may organise scientific hearings with individuals, petitioners or other stakeholder representatives, if considered necessary for the completion of a scientific opinion in the following manner, namely.—

(i) hearings shall be clearly indicated in the draft agenda or minutes of the meetings in which such hearings take place; and

(ii) the Scientific Committee or Scientific Panel shall not take any decisions during such hearings.

15. Business by circulation.—(1) In the event, where a matter is urgent or necessitate discussion at a meeting and where circumstances do not permit to meet immediately, or if the Chairperson of the Scientific Committee or the Scientific Panel so directs, a draft opinion or a statement may be referred to its members by circulation of papers either electronically or physically.

(2) Any proposal or draft opinion or statement circulated under sub-regulation (1), on being approved by one-third of the members of the Scientific Committee or the Scientific Panel, as the case may be, shall have effect and binding as if such proposal or draft opinion or statement was decided by the majority of members in the meeting.

(3) If the proposal or draft opinion or statement is not approved as specified in sub-regulation (2), the same shall be placed on the agenda for the next meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel.

(4) Each proposal or draft opinion or statement circulated under this regulation and the result of such circulation shall be included in the minutes of the following meeting**.**

16. Accelerated Procedures.—(1) In this case the response may take the form of a statement or opinion by the Food Authority adopted either by the Scientific Committee or the relevant Scientific Panel, the development and adoption of the statement or opinion shall be undertaken by the Scientific Committee or the Scientific Panel, as the case may be, as far as possible in accordance with the Terms of Reference, under the directions of the Chief Executive Officer and taking into account the limited time allocated for the response to the query.

(2) The Chairperson of the Scientific Committee or the Scientific Panel, as the case may be, shall be informed of the query and the process and the experts from the Scientific Panels or the Scientific Committee or any external experts may be consulted before finalising the statement under sub-regulation(1).

17. Adoption of scientific opinions.—(1) The Scientific Committee and the Scientific Panels shall adopt the scientific opinions at their plenary meetings or the procedures specified in regulation 16 or regulation 17.

(2) The Scientific Committee or Scientific Panel may adopt a preliminary opinion to be published on the Food Authority's website inviting scientific comments and suggestions within a period specified therein and shall take into consideration the comments received in forming its final opinion.

(3) The opinions of the Scientific Committee and Scientific Panels may include any minority opinion.

18. Secretariat of the Scientific Committee and the Scientific Panels.—(1) In pursuance of clause (d) of Section 10 of the Act, the office of the Food Authority shall be responsible for providing necessary support to facilitate efficient functioning of the Scientific Committee and the Scientific Panels. Specific duties of the Secretariat shall include but not limited to the following, namely:-

(i) ensure best use of the Food Authority's resources and plan to meet priorities and time-lines;

(ii) provide information on the legislation or policy aspects or queries or scientific opinions;

(iii) prepare the draft agenda including background information and minutes of the meetings for the Scientific Committee, Scientific Panels or Working Groups, in consultation with respective Chairperson;

(iv) the minutes of the meeting shall include:

(a) list of participants; and

(b) record of decisions taken and opinions adopted.

(2) The minutes may be posted on the Food Authority's website after their adoption.

19. Confidentiality.—(1) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and the Working Groups and the external experts participating in the Working Groups, or acting as observers, shall not divulge any information, to third parties, specifically, identified by the Food Authority as 'restricted or confidential.

(2) The members of the Scientific Committee or Scientific Panels or Working Groups and external experts participating in the Working Groups or acting as observers, shall sign a declaration of confidentiality as specified in **Schedule-II**.

(3) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and Working Groups and external experts participating in the Working Groups, or acting as observers, even after their duties have ceased, shall not disclose information of any kind covered by the obligation of professional secrecy.

20. Independence.—(1) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and Working Groups and external experts shall undertake to act independently of any external influence by making a Declaration of Commitment as provided in **Schedule-III** and an Annual Declaration of Interests in **Schedule-IV,** indicating either the absence of any interests which might be considered prejudicial to their independence or any direct or

indirect interests which might be considered prejudicial to their independence.

(2) The members of the Scientific Committee, Scientific Panels and Working Groups and external experts at each meeting shall make a Specific Declaration of Interests as provided in **Schedule-V** which might be considered prejudicial to their independence in relation to the items on the agenda.

21. Replacement.—A member of the Scientific Committee or Scientific Panel may be removed or replaced by the Food Authority, on a proposal submitted by the Chief Executive Officer, for not contributing effectively to the work of the Scientific Committee, Scientific Panels or Working Groups or for absence from three consecutive meetings, or for actions in conflict with the Food Authority's interests or terms and conditions. If a member wishes to resign, the Food Authority, acting on a proposal by the Chief Executive Officer, may appoint a replacement from the reserve list, if any maintained by the Food Authority.

22. Conferences.—In their quest for obtaining scientific opinions on a subject, the Chairperson of the Scientific Committee or the Scientific Panel may submit a proposal for organising a conference on a topical issue or subject, along with the budget therefor to the Chief Executive Officer, who may, in turn, approve such a proposal with a maximum budget upto fifteen Lakh rupees. However, this amount may be reviewed by the Authority from time to time.

23. Reimbursement of expenses and sitting fees.—(1) Travel and subsistence expenses incurred by members or external experts or rapporteurs in connection with meetings relating to the Scientific Committee, Scientific Panels, Working Groups or external experts shall be reimbursed by the Food Authority in accordance with these regulations.

(2) The members of the Scientific Committee, Scientific Panels, Working Groups or external experts shall be paid a sitting fee of four thousand rupees for each day or part thereof for attending a meeting and the sitting fee may be reviewed by the Food Authority after every two years.

(3) The rapporteur member of the Scientific Committee or the Scientific Panel or the working group shall be paid an additional honorarium of two thousand rupees for discharging the duties as a rapporteur for each day or part thereof for meeting attendance.

India Code

Schedule – I

[See regulation 6(1)(ii)]

Format for Scientific Opinion

The Scientific Committee/ Scientific Panels/ working group shall submit its scientific opinion in the following format:

1. **Title**: Opinion of the Scientific Committee, Scientific Panel or working group [*insert name of Panel*] on the task query [insert *title of query or term of reference provided by Authority]* on a submission by [*Food Authority/Government/Self Tasking*] Request No: [Reference *No*]

2. **Summary:** It should be a brief [1-2pages] summary of the opinion, reflecting the background, terms of reference and conclusions. The conclusions should clearly state whether there is any evidence of an unsafe condition or none at the level of use along with conditions attached including the possibility of harmful effects on health but scientific uncertainty persists or the need for further scientific information for a more comprehensive risk assessment.

3. **Background and Terms of Reference:** as provided by the Food Authority or any other stakeholder.

4. **Detailed Assessment:** The actual risk assessment section on how the information was evaluated and which issues were considered of key - relevance for the opinion.

5. **Regulatory Impact Analysis:** Measurable outputs relating to mitigation of health of the population in general or specific segments as identified.

6. **Conclusions and recommendations**

7. **Statement on minority opinion(s), (if any)**

8. **Documentation**: A list of the references and documentation on which the opinion is based.

9. **Acknowledgement:** If applicable, an acknowledgement with the names of the working group or external experts who prepared (or made contributions to) the draft opinion.

Schedule-II

[See regulation 19 (2)]

Declaration of Confidentiality

Name: _____

Position:

[] Member of the Food Authority

[] Member of the Central Advisory Committee

[] Member of the Scientific Committee

[] Member of a Panel on_____

[] Member of a Working Group on_____

[] Other expert (external) on_____

I hereby declare that I am aware of my obligation to respect confidentiality. I know that I am obliged not to divulge information acquired as a result of my activities in Food Safety and Standards Authority, and I hereby undertake not to divulge any such confidential information. I shall also respect the confidential nature of the opinions expressed by other Members of the bodies indicated above or other experts during discussions in meetings or provided in written form.

Done at: _____ on _____ Signature _____

IndiaCode

Schedule-III

[See regulation 20 (1)]

Declaration of Commitment

***Name:* _____**

Position:

[] Member of the Food Authority

[] Member of the Central Advisory Committee

[] Member of the Scientific Committee

[] Member of the Scientific Panel on _____

[] Member of a Working Group on_____

[] Expert (external) on _____

I hereby undertake to make all reasonable efforts to attend and participate in the meetings of the Food Authority and to act independently and in public interest, without being influenced by any external influence.

Done at: _____ on _____ Signature: _____

Schedule –IV

(See regulation 20(1)]

Annual Declaration of Interests

(Please note that high quality of scientific expertise is by nature based on prior experience and, therefore, having an interest does not necessarily mean having a conflict of interest)

Name: _____

Position:

[] Member of the Food Authority

[] Member of the Central Advisory Committee

[] Member of the Scientific Committee

[] Member of a Scientific Panel on _____

[] Member of a Working Group on _____

[] Other expert (external) on _____

Information on direct or indirect interests of relevance to the mandate of the Authority:-

(1) Direct interests (financial benefits arising from, for example, employment, contract work, investments, fees etc.)

(2) Indirect interests (indirect financial, e.g., grants, sponsorships, or other kind of benefits):

(3) Interests deriving from the professional activities of the Member and his/her close family Members:

(4) Any membership role or affiliation in organizations/bodies/club with an interest in the working of the Authority:

(5) Other interests or facts that the undersigned considers pertinent:

Declaration: I declare that the information provided above is true and complete.

Done at: _____ on: _____ Signature: _____

(Please attach additional sheets whenever required)

Guidelines for Annual Declaration of Interest

(1) Any financial interests or benefits, including holding of stocks and shares, equity, bonds, partnership or property interests relevant to the Food Authority's mandate. Financial interests connected with a pension or investment scheme contracted prior to membership or interests in unit trusts or similar arrangements would not, in principle, be of particular interest, providing that the member has no influence on financial management.

(2) Professional experience in the last five years in a field relevant to the Food Authority's mandate. This should include all work, irrespective of whether the activities have been subject to regular or occasional remuneration (Board membership, executive or non-executive directorship, employment, consultancy, contractual interests, and traineeship).

(3) Interests the member may have had in the past or ongoing legal proceedings relevant to the Food Authority's mandate, with an indication of their implications, are to be declared.

(4) All assistance and support received by private and public undertakings or bodies are to be declared, where they are associated with direct or indirect pecuniary or material benefit and which have a bearing on the topic of the Scientific Committee or Scientific Panel. These include grants for study or research, fellowships or sponsorships for the last five years.

IndiaCode

(5) Participation in public interest groups, professional societies, clubs and organisations which may have an agenda relevant to the Food Authority's mandate is to be declared. The role and position held is to be set out clearly.

(6) Close family member includes spouse or partner and dependent children living in thesame household.

(7) When declaring interests, member should consider statements of personal opinion on issues relevant to the questions addressed by the Food Authority (e.g, Publications, public statements); employment or family (e.g. the possibility of any indirect advantage or any likelihood of pressure could arise from the member's employer, business associates or immediate family members).

(8) The Food Authority recognises that scientific expertise underpins the fulfillment of its mandate and tasks and that the quality of such expertise is inherently based on prior experience. An "interest" declared is not automatically considered to be a conflict of interest. Interests of an intellectual nature are considered as indispensable to safeguard the quality and overall balanced objectivity of the scientific work.

(9) The details of interests declared may be kept confidential by the Food Authority unless its disclosure is necessary to establish objectivity and independence of the member involved.

Schedule - V

[See regulation 20(2)]

Specific Declaration of Interests

(Please note that high quality of scientific expertise is by nature based on prior experience and that therefore having an interest does not necessarily mean having a conflict of interest)

Name: _____

Profession: _____

Meeting of the Food Authority

Meeting of the Central Advisory committee

Meeting of the Scientific Committee

Meeting of Panel on _____

Meeting of the Working Group on _____

IndiaCode

Meeting dates	
Venue	

Sr. No.	**Agenda Items**	**Whether the member has a conflict of interest. (YES/ No)** **If yes, please provide details to enable the chair to take a decision.**

Declaration: I declare that the information provided above is true and complete.

Done at: _____ on _____ Signature: _____

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.—III/4/Exty./335 (187-Q)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.12 12:26:49 +05'30'